



भिक्षावृत्ति के प्रति बदलती सामाजिक मनोवृत्ति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रो० अनिल कुमार मिश्रा

शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, डी०बी०एस० कॉलेज, कानपुर

जगदीप कुमार दिवाकर

शोधार्थी एवं असि० प्रो० डी०बी०एस० कॉलेज, कानपुर, jagdeepdiwakar@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.23258488>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 20-07-2026

Accepted: 19-08-2026

Published: 25-09-2026

Keywords:

भिक्षावृत्ति, सामाजिक मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, आधुनिकता, वैश्वीकरण, पुनर्वास, दान, भिक्षुक आदि।

ABSTRACT

भिक्षावृत्ति भारतीय समाज में एक लंबे समय से विद्यमान एक वृहद सामाजिक समस्या है। ऐतिहासिक रूप से परंपरागत भारतीय समाज दान, परोपकार, करुणा जैसे गुणों से परिपूर्ण रहा है। इन अवधारणाओं का सीधा संबंध मनुष्य की उस मनोवृत्ति से है जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है और उसकी सेवा या सहायता करना चाहता है। भिक्षावृत्ति इसी मनोवृत्ति से लाभ लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। सार्वजनिक जगहों पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। किंतु आधुनिक समय की प्रवृत्तियां जैसे कि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक असमानता ने मनुष्य के सामने नई-नई चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं। ऐसे में व्यक्ति भिक्षावृत्ति एवं भिक्षकों के प्रति किस मनोवृत्ति के साथ कार्य कर रहा है इसको समझना अत्यंत आवश्यक व समय की आवश्यकता है। मनुष्य की मनोवृत्ति समय के साथ परिवर्तित होती है। आधुनिकता ने हमारी मनोवृत्ति को सोचने, विचारने के तरीके को एवं लोगों के प्रति दृष्टिकोण को किस हद तक प्रभावित किया है इसका एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। भिक्षुको को दान देने की प्रवृत्ति, बच्चों को के प्रति सामाजिक मनोवृत्ति एवं भिक्षा को एक व्यवसाय समझने की प्रवृत्ति का अध्ययन विशेष रूप से शामिल है। अध्ययन में भिक्षावृत्ति के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण एवं लोगों की अलग-अलग समझ देखने को मिलती है।

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

प्रस्तावना :

भिक्षावृत्ति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मनुष्य ने जब मुद्रा का विकास किया उसी के साथ आर्थिक असमानता का भी जन्म होता है। आर्थिक असमानता के साथ व्यक्ति और व्यक्ति में भेद शुरू होता है। इसी भेद के साथ अमीर और गरीब के बीच एक खाई पैदा होती है और इस खाई से भिक्षावृत्ति जैसी समस्या का जन्म होता है। भिक्षावृत्ति को सिर्फ इस तथ्य से ही नहीं समझा जा सकता कि यह एक आर्थिक असमानता है एक व्यक्ति के पास धन व अचल संपत्ति है जबकि दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। मनुष्य ने अपने जन्म के साथ ही एक आत्मिक संतुष्टि का भाव हमेशा अपने आसपास खोजा है। पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, अच्छाई-बुराई जैसे गुण और अवगुण मानव सभ्यता की विकास के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करता है और कुछ बुरे कर्म भी करता है लेकिन वह चाहता है कि इतिहास में व कालांतर में उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखा जाए साथ ही साथ अगर स्वर्ग जैसी कुछ धारणा है अथवा पुनर्जन्म जैसे सिद्धांत को ध्यान में रखकर वह इस जन्म के साथ-साथ अपने आने वाले अगले जन्म को भी सुखद वह अच्छा बनाना चाहता है। इसीलिए प्रायः वह दान, दया, करुणा जैसे मानवीय व धार्मिक गुणों को स्वयं में धारण करता है और दान-पुण्य जैसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। इसी प्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकास, शिक्षा एवं अन्य अवसरों में पीछे रह गए हैं अथवा शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता के कारण कोई काम करने में असमर्थ रहे हैं अतः ऐसे लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाकर भिक्षा प्राप्त करके ही अपना जीवन चलाते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था पाई जाती है जहाँ पर चार आश्रम बताए गए हैं। आश्रम का अर्थ होता है श्रम करना एवं कुछ समय के लिए विश्राम करना और फिर श्रम करना अर्थात् मनुष्य का जीवन अत्यंत दीर्घ है जिसे व्यवस्थित ढंग से अगर संचालित ना किया गया तो अच्छे कर्मों की जगह बुरे कर्मों की ओर व्यक्ति प्रवृत्त हो सकता है ऐसे में यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन को लक्ष्योन्मुखी बनाए। भारतीय समाज में शायद इसीलिए चार आश्रमों की व्यवस्था पायी जाती है। देखने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास इन चारों आश्रमों में सिर्फ गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर व्यक्ति कर्म करता है अर्थात् उत्पादन करता है। बाकी तीनों ही आश्रम जैसे कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास यह मानव समाज द्वारा दिए गए दान पर ही निर्भर होते हैं अतः ऐतिहासिक रूप से भी दान की महानता-भिक्षा देने एवं लेने दोनों की एक परंपरा रही है।

आधुनिक समाज में भिक्षा देने एवं भिक्षा लेने दोनों की ही प्रवृत्ति में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है यह अंतर गरीबी, बेरोजगारी, आधुनिकता एवं आधुनिक शिक्षा आदि के कारण हो सकता है। एक तरफ समाज में यह धारणा आज भी मजबूत है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए विशेष कर ऐसे लोगों की जो स्वयं अपने लिए कार्य करने में अक्षम हैं जैसे कि विकलांग लोग, अक्षम महिलाएं, वृद्धजन एवं बच्चे आदि। दूसरी तरफ एक धारणा यह भी मजबूत होती जा रही है कि भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय के रूप में है लोग नकली रूप का दिखावा करके दूसरों से धन ऐठने के लिए छद्म विकलांगता एवं दयनीय स्थिति का दिखावा करते हैं साथ ही साथ विभिन्न अपराधी गिरोहों द्वारा संचालित होते हैं। जब शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति भिक्षावृत्ति को एक पेशे के रूप में अपना लेते हैं तो यह ऐसे लोगों

प्रो० अनिल कुमार मिश्रा, जगदीप कुमार दिवाकर

के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है जो वास्तविक रूप से असहाय एवं जिनको दूसरों की दान, दया एवं सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। भिक्षुओं की सहायता करने में भी दो दृष्टिकोण दिखाई देते हैं एक दृष्टिकोण वह जो इसे मानवीय संवेदना व मनुष्यता का पर्याय समझता है दूसरा दृष्टिकोण किये जो इस समस्या को बढ़ावा देने वाला समझता है जब लोगों को बिना कुछ किये ही धन व सहायता प्राप्त होगी तो वह सक्षम होते हुए भी समाज पर बोझ बनकर बैठे रहेंगे इससे हमारे समाज में वास्तविक सुधार संभव नहीं हो पाएगा। इस संदर्भ में यह अध्ययन आधुनिक प्रवृत्तियों को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया है हमारे मन में दया, करुणा एवं साथ ही साथ तार्किक विचारों का जो यथा स्थिति को देखकर निर्णय लेते हैं उसे पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। समाज भिक्षावृत्ति को किस रूप में देखता है, भिक्षुओं के प्रति उसकी भावनाएँ क्या हैं? और भिक्षावृत्ति की समस्या के समाधान के लिए समाज किस प्रकार के उपायों को उचित मानता है।

ऐतिहासिक परिपेक्षः

ऋग्वेद 10.117.3 में लिखा गया है कि—

“न स सखा यो न ददाति सख्ये
सचाभुवे सचमानाय पित्वः।
अपास्मात् प्रेयान् न तद् वोचामि
प्रवृक्णैवा वि जघन्यं तदस्मै।।”¹

वैदिक काल में वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना परम नैतिकता का कार्य माना गया था। व्यक्ति को भोजन व अन्य आवश्यकता से अधिक जरूरत का अकेले उपभोग नहीं करना चाहिए जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने से ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। ऐसा कहा गया है।

ऋग्वेद 10.117.6 — इस सूक्त में कहा गया है कि—

“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः
सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं
केवलाघो भवति केवलादी”²

अर्थात् जो व्यक्ति भोजन आदि को प्राप्त करता है लेकिन उसका उपभोग अकेले ही करना चाहता है उसका उपभोग व्यर्थ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से दोषी है एवं ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी तरह विभिन्न ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण एवं जैन, बौद्ध धर्म ग्रंथों आदि में एक ही बात कही गई है कि अगर आपके पास अपनी आवश्यकता से ज्यादा है अथवा आवश्यकता भर का ही है फिर भी अगर हमारे सामने कोई बहुत जरूरतमंद व्यक्ति है तो हमें उस सामग्री का उपभोग अकेले न करके दूसरों के सहयोग से

करना चाहिए। हिंदू धर्म एवं हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली रही है अर्थात् अकेले कल्याण कभी कल्याण नहीं माना जा सकता जब तक कि हमारा पूरा समाज अथवा हमारे आस-पास के आवश्यकता से ग्रस्त लोगों को सहयोग ना किया जाए। बौद्ध धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने जीवन भर भिक्षा मांग कर ही अपने जीवन को चलाया है एवं उनके साथ रहने वाले भिक्षु भी भिक्षा द्वारा ही अपने जीवन का संचालन करते थे। भिक्षा इस बात का प्रमाण है कि मांगने वाला एवं देने वाला दोनों ही महान है जब व्यक्ति किसी दूसरे के सामने भिक्षा मांगता है तो वह अपने अहंकार एवं महान होने की भावना का त्याग कर देता है वह एक अत्यंत साधारण मनुष्य के रूप में दूसरे के सामने याचना करता है। दूसरी ओर देने वाला जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करता है तो उसके अंदर का भी अहंकार टूट जाता है एवं अपने एवं समाज को समग्र समझने की भावना बलवती होती है यही समाज की आवश्यकता है समाज इसी से बना है और इसी से मजबूत होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य :

ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो भिक्षावृत्ति कोई पाप, कलंक अथवा बुरी बात नहीं रही है यह ऋषि मुनियों द्वारा किया गया एक महान कार्य माना गया है क्योंकि हमारे यहां संन्यास की परंपरा रही है और इस परंपरा में व्यक्ति दूसरों से मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में भिक्षा मांगना एक महान परंपरा एवं हमारी संस्कृति का भाग रहा है लेकिन समय बीतने के साथ आधुनिक समय में भिक्षावृत्ति कलंक के साथ जुड़ गया है। इसका कारण स्वयं भिक्षुक है। ऐसे लोगों ने जो समर्थवान है शारीरिक रूप से सक्षम है, कार्य कर सकते हैं लेकिन विभिन्न तरह से वह नकली विकलांगता का दिखावा करते हैं। बहुत से लोग जो नशा करने के आदी हैं वह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हैं। कई अपराधी गिरोहों ने महिलाओं को, विकलांगों को इस कार्य में धकेल दिया है। इन सब कार्यों से भिक्षावृत्ति एवं भिक्षुको के प्रति आम जनमानस की उस प्राचीन व महान परम्परा का खंडन हुआ है कि भिक्षावृत्ति एक महान कार्य है। आज भिक्षावृत्ति एक पेशा बन गया है जिसमें संगठित गिरोह की भूमिका बढ़ी होती जा रही है जिस कारण आम जनमानस इसको शंका की नजर से देखता है एवं वास्तविक रूप से आवश्यकता ग्रस्त भिक्षुको को भी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है।

भिक्षुकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ :

1. **SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)–** भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की पहचान एवं सर्वेक्षण, आश्रय/पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास तथा वैकल्पिक आजीविका जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। पहचान किए गए व्यक्तियों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहचान-पत्र उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।
2. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) – National Social Assistance Programme:** इस योजना के अंतर्गत वृद्ध, विधवा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।



भिक्षुकों में यदि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में पात्रता रखता है, तो वह संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकता है। यह योजना भिक्षुकों के लिए विशेष योजना नहीं, बल्कि पात्र कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।

इसी तरह विभिन्न राज्य सरकारों ने भी कई तरह के सहायता पुनर्वास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य समाज के ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना एवं समाज के मुख्य धारा में शामिल करना जो किसी कारणवश पीछे गए हैं।

अध्ययन की समस्या :

वर्तमान समय में भिक्षावृत्ति के प्रति हमारी मनोवृत्ति में एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है कि जहाँ पहले यह दान, दया एवं धार्मिक प्रवृत्ति व संतुष्टि का एक जरिया था। वही आज यह सामाजिक, आर्थिक असमानता एवं समाज द्वारा बहिष्करण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। विवाह विच्छेद, पारिवारिक एवं वैयक्तिक विघटन ने इस समस्या को और विकृत कर दिया है। इस संबंध में यह अध्ययन इन्हीं दृष्टिकोण में अंतर को स्पष्ट करता है।

इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अध्ययन समस्या निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है—

“भिक्षावृत्ति के प्रति बदलती सामाजिक मनोवृत्ति का : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन”

अध्ययन का महत्व :

भिक्षावृत्ति एक जटिल सामाजिक समस्या है। इसके अध्ययन के कई दृष्टिकोण व परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि भिक्षुओं पर तो अनगिनत शोध कार्य संपन्न हुए हैं लेकिन भिक्षावृत्ति के प्रति समाज की मनोवृत्ति क्या है? इस पर शोध कार्य ढूँढना मुश्किल हो जाता है। अभी तक जितने भी शोध कार्य या अनुसंधान पेपर लिखे गए हैं वह एक पक्षीय हैं क्योंकि भिक्षुको के दृष्टिकोण से तो समाज को देखा गया लेकिन आम नागरिक, आम जनमानस भिक्षावृत्ति को कैसे देखता है उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी आस्था में, उसके तर्क में, भिक्षावृत्ति का क्या स्थान है? एवं भिक्षावृत्ति करने वाले लोग उसकी नजर में क्या है? इसका अध्ययन करना शेष रह गया है। अध्ययन का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि यह एक नवीन धारणा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है चूंकि हमारा समाज बदल रहा है। आधुनिकता, वैश्वीकरण एवं उपभोक्तावाद के इस युग में मनुष्य दूसरे पीड़ित मनुष्य के संबंध में कैसी भावनाएँ रखता है एवं किसी के दुख-दर्द में वह कितना शामिल होता है साथ ही साथ सहायता के प्रति कितना उत्साहित है। इन मूलभूत मुद्दों का अध्ययन प्रायः अछूता रह गया था जो इस शोध कार्य में शामिल किया गया है। इस दृष्टि से यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्ययन क्षेत्र :



अध्ययन क्षेत्र के रूप में कानपुर महानगर के एक धार्मिक स्थल एवं एक सार्वजनिक स्थल दोनों का चयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में ऐसे स्थलों का चयन किया गया है जहां पर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों का आम जनमानस से प्रायः प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। प्रत्यक्ष संपर्क के फल स्वरूप सामान्य जनमानस में भिक्षावृत्ति के प्रति एवं भिक्षा मांगने वाले लोगों के प्रति कोई न कोई दृष्टिकोण विकसित होता है। इसी बदलते दृष्टिकोण व मनोवृत्ति का अध्ययन करना अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। कानपुर महानगर जनसंख्या की दृष्टि से एक अत्यंत विशाल महानगर है। नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि कारणों से कानपुर महानगर का विस्तार लगातार हो रहा है एवं विभिन्न नजदीक के जनपदों से लोगों का पलायन कानपुर महानगर की ओर हो रहा है जिस कारण कानपुर महानगर की जनसंख्या की बसावट अत्यंत घनी हो गई है। बहुत से लोग जो रोजगार की तलाश में महानगर की ओर आए किंतु वह स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए एवं जीवन-यापन के लिए भिक्षावृत्ति जैसे कार्य में लग गए। इस दृष्टिकोण से भी महानगर के विभिन्न स्थलों का जहाँ भिक्षुओं की बहुतायत है एवं आम जनमानस का उनसे प्रत्यक्ष संपर्क लगातार बना रहता है का चुनाव अत्यंत उपयोगी है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में पनकी मन्दिर क्षेत्र एवं फजलगंज चौराहा लिया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :

- भिक्षावृत्ति के प्रति जन सामान्य की बदलती मनोवृत्ति का अध्ययन।
- भिक्षुको को दान देने की प्रवृत्ति का अध्ययन।
- भिक्षावृत्ति को पेशे के रूप में देखने की प्रवृत्ति का अध्ययन।

प्रकल्पनाएँ :

- भिक्षावृत्ति के प्रति जन सामान्य की मिश्रित प्रतिक्रिया है
- जन सामान्य वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों जैसे विकलांग, वृद्ध, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
- नगद राशि देने से भिक्षुक उसे अपना पेशा बना लेते हैं।
- सक्षम लोगों द्वारा भिक्षावृत्ति करने के प्रति सामान्य जनमानस नकारात्मक धारणा रखता है।

शोध प्रविधि :

शोध का स्वरूप— प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें भिक्षावृत्ति के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण के साथ-साथ विभिन्न आयामों के अध्ययन को भी शामिल किया गया है।

अध्ययन इकाई— अध्याय इकाई के रूप में सामान्य जनमानस जैसे मंदिर परिसर के आसपास रहने वाले लोग, श्रद्धालु एवं यातायात चौराहा से गुजरने वाले लोग शामिल हैं।

निदर्शन विधि— शोध समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर निदर्शन के रूप में उद्देश्य पूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि के द्वारा समस्या के प्रति तथ्यात्मक जानकारी रखने वाले लोगों को शामिल किया गया है जो प्रायः भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। इसके लिए सैंपल साइज के रूप में 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन— तथ्य संकलन की विधि के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं से भिक्षुओं के प्रति मनोवृत्ति, भिक्षावृत्ति को एक पेशा मानने के प्रति मनोवृत्ति एवं दान देने के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानना प्रमुख लक्ष्य है।

तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण— आंकड़ों को संकलित करने के पश्चात तथ्यों की सारणी बनाई गई हैं एवं उनका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के प्रमुख आयाम :

- दान देने की प्रवृत्ति
- भिक्षुओं के प्रति संवेदना एवं सहानुभूति की प्रवृत्ति
- भिक्षावृत्ति को एक पेशा मानने की प्रवृत्ति एवं दृष्टिकोण

आंकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण :

तालिका 1 : भिक्षुओं के प्रति दान देने की प्रवृत्ति एवं सहानुभूति

क्र. सं.	कथन/आयाम	प्रमुख प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या (N=100)	प्रतिशत
1.	भिक्षुओं को दान देने की प्रवृत्ति	कभी-कभी दान देते हैं।	42	42%
2.	दान का स्वरूप	पैसे या वस्तु दोनों	46	46%
3.	धार्मिक स्थल पर दान का आधार	मानवीय सहायता	48	48%
4.	वृद्ध भिक्षुक के प्रति व्यवहार	परिस्थिति देखकर सहायता	44	44%
5.	दिव्यांग भिक्षुक के प्रति दान	दान देने की प्रवृत्ति कुछ बढ़ जाती है	50	50%
6.	वास्तविक जरूरतमंद होने पर दान	संभवतः अधिक सहायता	46	46%

7.	भोजन एवं पैसे के संबंध में धारणा	दोनों समान रूप से उचित	40	40%
8.	दान देने का प्रमुख कारण	मानवीय संवेदना	44	44%
9.	दान से मानसिक संतुष्टि	कुछ हद तक	48	48%
10.	दान से भिक्षावृत्ति बढ़ने की धारणा	कुछ हद तक	46	42%
11.	भिक्षावृत्ति के कारण की धारणा	शारीरिक / मानसिक असमर्थता	34	34%
12.	वृद्ध भिक्षुकों के प्रति भावना	अधिक सहानुभूति	46	46%
13.	भिक्षावृत्ति को मजबूरी मानना	अनिश्चित	38	38%
14.	भिक्षुकों के साथ व्यवहार	सहानुभूतिपूर्ण	48	48%
15.	सहायता मांगने पर प्रतिक्रिया	बात सुनकर निर्णय	46	42%

विश्लेषण— दान देने की प्रवृत्ति एवं तथ्यों का विश्लेषण करने के उपरांत पाया गया कि दान देने की प्रवृत्ति सभी लोगों में नियमित नहीं है और ना ही यह पूर्णतया समाप्त हुई है अभी भी लोग दान देते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि वह दान देने की प्रवृत्ति परिस्थितियों पर निर्भर करती है अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, महिला है या बहुत दयनीय स्थिति में है तो उसे दान दिया जा सकता है और देते भी हैं। दान का स्वरूप क्या हो? इस सम्बन्ध में कुछ उत्तरदाता पैसे देने को प्राथमिकता देते हैं तो कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि पैसे की जगह उनको वस्तु एवं भोजन दिया जाना चाहिए ताकि उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि वर्तमान में दान देने की प्रवृत्ति सिर्फ धर्म, दान, पुण्य एवं पुर्नजन्म पर आधारित न होकर वास्तविकता पर आधारित है।

तालिका 2 : भिक्षुकों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं पुनर्वास की धारणा

क्र. सं.	कथन / आयाम	प्रमुख प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या (N=100)	प्रतिशत
1.	भिक्षुकों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में धारणा	अनुचित	54	54%
2.	बच्चों को भिक्षा मांगते देखकर प्रतिक्रिया	दुख होता है	46	46%
3.	भिक्षुकों को सम्मानपूर्वक जीवन का आधिकार	पूर्णतः अधिकार	52	52%

4.	भिक्षुकों को आलसी मानने की धारणा	कुछ हद तक सही	40	40%
5.	भिक्षावृत्ति को पेशे के रूप में देखने की प्रवृत्ति	कुछ लोगों के लिए पेशा	44	44%
6.	सक्षम व्यक्ति द्वारा भिक्षावृत्ति	अनुचित	52	52%
7.	भिक्षावृत्ति को नियमित आजीविका मानना	सहमत	48	48%
8.	रोजगार मिलने पर भिक्षावृत्ति छोड़ना	संभवतः	50	50%
9.	बाल भिक्षावृत्ति को सामाजिक शोषण मानना	पूर्णतः सहमत	56	56%
10.	भिक्षावृत्ति कम करने का प्रभावी उपाय	पुनर्वास की व्यवस्था	44	44%

तालिका 2 का गहन अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भिक्षुओं के प्रति सामान्य जनमानस का दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। लगभग 54% उत्तरदाता भिक्षुओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार को गलत मानते हैं 52% उत्तरदाताओं का मानना है कि भिक्षुक भी मानव है और उनको भी मानवीय एवं गरिमा पूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ अगर सक्षम लोग भी भिक्षावृत्ति जैसा कार्य करते हैं तो उसकी आलोचना भी करते हैं। बाल भिक्षावृत्ति के प्रति आम जनमानस अधिक संवेदनशील है एवं इसको शोधन की एक प्रकृति मानता है। बाल भिक्षावृत्ति के प्रति लोगों का अधिक जन समर्थन है वह इसको समाप्त करने के पूर्ण पक्ष में है। उत्तरदाताओं का मानना है कि दान देने से सिर्फ कुछ समय तक लोगों का जीवन चल सकता है लेकिन उनका स्वावलंबी होना अत्यधिक आवश्यक है इसलिए पुनर्वास कार्यक्रमों की ओर अधिक समर्थन कर रहे हैं।

तालिका 3 : भिक्षावृत्ति को पेशे/आजीविका के रूप में अपनाने के प्रति जनसामान्य का दृष्टिकोण (N=100)

क्र. सं.	कथन/आयाम	प्रमुख प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कुछ लोग भिक्षावृत्ति को अपनी नियमित आजीविका के रूप में अपनाते हैं।	सहमत	48	48%
2.	भिक्षावृत्ति कुछ व्यक्तियों के लिए मजबूरी के बजाय आजीविका का विकल्प बन गई है।	सहमत	46	46%
3.	लंबे समय में भिक्षावृत्ति करने वाले कुछ व्यक्ति इसे स्थायी पेशे के रूप में देखते हैं।	सहमत	50	50%

4.	अक्षम एवं स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा भिक्षावृत्ति को पेशे के रूप में अपनाना उचित नहीं है।	पूर्णतः असहमत नहीं, बल्कि अनुचित	54	54%
5.	यदि भिक्षावृत्ति से नियमित आय प्राप्त हो रही हो, तो कुछ लोग अन्य रोजगार की अपेक्षा इसे प्राथमिकता दे सकते हैं।	कुछ हद तक सहमत	42	42%
6.	परिवार में भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति के कारण अगली पीढ़ी भी इसे आजीविका के रूप में अपना सकती है।	कुछ हद तक सहमत	42	42%
7.	भिक्षावृत्ति को पेशे के रूप में अपनाने की प्रवृत्ति का सम्बन्ध रोजगार के अवसरों की कमी से भी है।	सहमत	52	52%
8.	कुछ लोगों के लिए भिक्षावृत्ति अस्थायी आर्थिक सहायता न होकर नियमित आय का साधन बन जाती है।	सहमत	48	48%
9.	यदि सक्षम भिक्षुक को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो उसके भिक्षावृत्ति को पेशे के रूप में अपनाए रखने की संभावना कम हो सकती है।	सहमत	56	56%
10.	भिक्षावृत्ति को स्थायी पेशे के रूप में अपनाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास आवश्यक है।	पूर्णतः सहमत	58	58%

तालिका संख्या-3 का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट होता है कि लगभग 48% उत्तरदाता इस पक्ष में हैं जो यह मानते हैं कि भिक्षावृत्ति एक पेशा बन गई है। अब यह सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन नहीं रह गई है बल्कि यह एक नियमित रोजगार के रूप में श्रजित कर ली गई है जिस कारण समाज में ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो वास्तव में अक्षम हैं एवं जिनको दूसरों की सहायता की आवश्यकता है। लगभग 50% लोगों का मानना है कि जो लोग लंबे समय से भिक्षावृत्ति जैसे कार्य में लगे हुए हैं उन्होंने इसे नियमित आय के रूप में स्वीकार कर लिया है वह इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। 52% उत्तरदाताओं ने भिक्षावृत्ति को एक नियमित आय के साधन के रूप में अपनाने के पीछे, कारण के रूप में रोजगार के अवसरों की कमी को माना। लोगों का मानना है कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है एवं इसे पीढ़ीगत नहीं होना चाहिए। इसे एक संस्कृति के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए।



जो व्यक्ति सक्षम है सरकार का प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका पुनर्वास करें एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें समाज में समायोजित करें।

समाजशास्त्रीय निष्कर्ष :

उपरोक्त तालिकाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है एवं इसे एक सामाजिक समस्या के ही रूप में समाधान तलाशना चाहिए। समाज में किसी भी सामाजिक समस्या के पीछे सिर्फ एक या दो कारण नहीं बल्कि बहुत से कारण हो सकते हैं भिक्षावृत्ति भी एक ऐसी ही समस्या है इसमें परिवार, समाज, सरकार इन सब का सम्मिलित प्रयास शामिल होना चाहिए उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तरों के अध्ययन के उपरांत स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता भिक्षावृत्ति जैसी समस्या के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं एवं वह समय-समय पर ऐसे लोगों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं ना की धार्मिक व पावन कार्य। बाल भिक्षुको, महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगता से ग्रसित लोगों के प्रति समाज में विशेष भाव एवं संवेदनाएं हैं क्योंकि उनका मानना है कि समाज में ऐसे लोग जो अक्षम हैं अपने आप अपनी आजीविका कमा नहीं सकते हैं ऐसे लोगों की सहायता करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ऐसे लोगों की सहायता अवश्य की जानी चाहिए। सहायता का रूप नगद राशि एवं भोजन व कपड़े भी हो सकते हैं। जिसकी जैसी व्यवस्था हो लेकिन ऐसे लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए जो स्वयं अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं वास्तव में यही जरूरतमंद लोग हैं जिनकी जरूरतें समाज को मिलजुल कर पूरी करनी चाहिए। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हैं और जिनकी उम्र अभी श्रम करने की है ऐसे लोगों को चिन्हित कर इस पेशे से बाहर निकालने की आवश्यकता है ताकि उनका समाज में समायोजन किया जा सके और वह एक बेहतर जीवन जी सके। सरकार का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे लोगों को चिन्हित करना सरकार का दायित्व है एवं उनका विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आच्छादित कर एक योग्य नागरिक बनाने का उत्तरदायित्व सरकार पर ही है। इस प्रकार अंतिम निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यह एक संवेदनशील विषय है एवं इस विषय पर आम जनमानस के विचार एवं भावनाएं प्रतिकूल नहीं हैं वह इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं एवं सरकार को भी अपने प्रयासों के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहिए कि वह ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील है।

संदर्भ एवं ग्रंथ सूची :

1. ऋग्वेद 10.117.3
2. ऋग्वेद 10.117.6
3. Singh (2017) – Begging Career/Livelihood Strategy.
4. Rajput, Abhishek. (2025)- The Dual Nature of Begging in India: A Profession or a Cry for Help.
5. Nawaz, Ali, Mughal, Mehrooz Manzoor & Nasir, Sadaf. (2026)- Beggary in India: Patterns, Causes and Everyday Realities.



6. Khan, Menka & Shamshad (2014) - Socio&Economic Causes of Begging.
7. Gould (2024) Sociology and the Vagrant : Beggars, Welfare and Tradition in Writing about the New Citizen in 1950s India- South Asia: Journal of South Asian Studies, 47(1), 98-116.
8. Shivam Singh. (2026). Exploring the Dimensions of Begging in India- International Journal of Law Management & Humanities.
9. Malik, Sonia & Roy, Sanjoy. (2012), A Study on Begging: A Social Stigma&An Indian Perspective.
10. Malarvizhi, V. & Geetha, K.T. Socio-Economic Issues of Beggary: A Study of Beggars in Coimbatore City.